



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 17.10.2025

➤ इटावा पुलिस द्वारा भू-माफिया के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही ।

➤ अवैध रूप से अर्जित की गई 6.4157 हेक्टेयर भूमि / अचल संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत ₹6 करोड़ 02 लाख है, को राज्य हित में कुर्क किया गया।

➤ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन एवं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस तथा राजस्व टीम द्वारा कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

मु0अ0सं0- 254/2024, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा से संबंधित अभियुक्तगण —

1. इन्द्रपाल सिंह,
2. अशोक, पुत्रगण स्व0 रामनाथ निवासी मकान संख्या 340, अशोक नगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा,
3. राजवीर सिंह पुत्र बृजपाल, निवासी मोहल्ला मित्रपुरम, कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, भरथना रोड, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा —

उपरोक्त अभियुक्तगण मूल निवासी ग्राम मोहनपुर राइन, थाना चौबिया, जनपद इटावा है।

इस मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार, थाना सिविल लाइन, इटावा द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण उपरोक्त के नाम अवैध रूप से अर्जित की गई कुल 6.4157 हेक्टेयर अचल संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत ₹6 करोड़ 02 लाख है, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं मूल्यांकित की गई।

दिनांक 16.10.2025 को अभियुक्तगण इन्द्रपाल सिंह व अशोक की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट, इटावा के आदेश सं० 1587/24 व डी 202403220001587 के अनुपालन में, धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन, थानाध्यक्ष फ्रेंड्स कॉलोनी तथा तहसीलदार सदर मय राजस्व टीम द्वारा मौजा ग्राम मोहनपुर राहिन / नीवासई / गौरा दयालपुर / उनवा संतोषपुर, थाना क्षेत्र चौबिया, जनपद इटावा स्थित 6.4157 हेक्टेयर भूमि को कुर्क / जब्त किया गया।

अभियुक्तों का विवरण :-

1. इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व0 रामनाथ, निवासी मकान नं. 340, अशोक नगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा।
2. अशोक पुत्र स्व0 रामनाथ, निवासी मकान नं. 340, अशोक नगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा।
3. राजवीर सिंह पुत्र बृजपाल, निवासी मोहल्ला मित्रपुरम, कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, भरथना रोड, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा।

अभियुक्तगण उपरोक्त मूल निवासी ग्राम मोहनपुर राइन, थाना चौबिया, जनपद इटावा हैं।

जब्त / कुर्क संपत्ति का विवरण :-

1. अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र स्व0 रामनाथ द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति —

- A. मौजा मोहनपुर राहिन की गाटा संख्या — 86, 264, 172क, 747, 523क।
- B. मौजा नीवासई गाटा संख्या — 1028।
- C. मौजा उनवा संतोषपुर गाटा संख्या — 2897, 2899क, 2901क, 3281ख, 3282ग, 2899ख, 3281घ, 3282ड।

2. अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र स्व० रामनाथ द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति —

- A. मौजा मोहनपुर राहिन गाटा संख्या — 155, 199, 200, 201, 375क, 532, 534, 571, 573, 520ग, 630क, 86, 264, 785, 747।
- B. मौजा गौरा दयालपुर गाटा संख्या — 618।
- C. मौजा उनवा संतोषपुर गाटा संख्या — 2897, 2899ख, 2901क, 3281ख, 3282ग, 3281घ, 3281च।

आपराधिक इतिहास :-

1. इन्द्रपाल सिंह यादव पुत्र स्व० रामनाथ

- (1) मु०अ०सं० 30/2005 धारा 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (2) मु०अ०सं० 136/2009 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (3) मु०अ०सं० 154/2009 धारा 120-बी, 409 भादवि — थाना चौबिया।
- (4) मु०अ०सं० 420/2013 धारा 406, 420, 504, 506 भादवि — थाना कोतवाली।
- (5) मु०अ०सं० 54/2011 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (6) मु०अ०सं० 67/2010 धारा 392, 504 भादवि — थाना चौबिया।
- (7) मु०अ०सं० 313/2018 धारा 420, 448, 467, 471 भादवि — थाना सिविल लाइन्स।
- (8) मु०अ०सं० 303/2020 धारा 406 भादवि — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।
- (9) मु०अ०सं० 307/2023 धारा 467, 468, 471, 504, 506, 427, 120-बी भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।
- (10) मु०अ०सं० 72/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि — थाना चौबिया।
- (11) मु०अ०सं० 254/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।

2. अशोक यादव पुत्र स्व० रामनाथ

- (1) मु०अ०सं० 136/2009 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (2) मु०अ०सं० 54/2011 धारा 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (3) मु०अ०सं० 140/2012 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि — थाना चौबिया।
- (4) मु०अ०सं० 153/2012 धारा 447, 504, 506, 427 भादवि — थाना चौबिया।
- (5) मु०अ०सं० 420/2013 धारा 406, 420, 504, 506 भादवि — थाना कोतवाली।
- (6) मु०अ०सं० 313/2018 धारा 420, 448, 467, 471 भादवि — थाना सिविल लाइन्स।
- (7) मु०अ०सं० 317/2018 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि — थाना सिविल लाइन्स।
- (8) मु०अ०सं० 307/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 427, 120-बी भादवि व 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।
- (9) मु०अ०सं० 72/2024 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि — थाना चौबिया।
- (10) मु०अ०सं० 254/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।

कार्यवाही करने वाली टीम :

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार मय टीम — थाना सिविल लाइन्स।
2. थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार मिश्रा मय टीम — थाना फ्रेंड्स कॉलोनी।
3. थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र पटेल मय टीम — थाना चौबिया।
4. नायब तहसीलदार सदर श्री विपिन कुमार मिश्र मय लेखपाल टीम।

